

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 526]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 सितम्बर 2010—आश्विन 7, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2010

क्र. डी-15-28-2010-चौदह-3.—यतः राज्य की खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2008 के अनुसरण में, राज्य सरकार का मत है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/प्रसंस्करणकर्ता को राज्य में उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु मण्डी फीस से छूट दी जानी चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उन फलों, सब्जियों तथा फूलों को, जो कि स्थापित इकाईयों में उत्पादन/प्रसंस्करण के उपयोग के लिए राज्य के किसी मंडी-क्षेत्र में लाए गए हों या क्रय किए हों, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय संपूर्ण मंडी फीस के भुगतान से, निम्नलिखित शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

- (1) उक्त अधिसूचित कृषि-उपज पर मंडी फीस के भुगतान से छूट केवल तब ही दी जाएगी यदि यह स्थापित इकाईयों में उत्पादन/प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है, किन्तु यदि उक्त अधिसूचित कृषि-उपज किसी वाणिज्यिक संव्यवहार में विक्रय की गई या क्रय की गई है या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के उल्लंघन में उपयोग की गई हैं तो मंडी-क्षेत्र की मंडी समिति द्वारा दी जाने वाली छूट नहीं दी जाएगी तथा संबंधित मंडी समिति उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मंडी फीस उद्गृहित करेगी.
- (2) उपरोक्त वर्णित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए बन्धनकारी होगा कि वे उक्त अधिनियम की धारा 32 और 32-क के अधीन मंडी के रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करे और उनके लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर से कच्चे माल के रूप में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज अर्थात् “फलों”, “सब्जियों” तथा “फूलों” के संबंध में आयकर विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग को दिए गए अपनी समस्त नियत कालिक विवरणियों तथा अन्य समस्त ब्यौरों की सत्यापित और अभिप्रमाणित प्रतियां मंडी क्षेत्र की मंडी समिति को प्रस्तुत करें.
- (3) ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को जो मध्यप्रदेश के उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग से रजिस्ट्रीकृत हैं तथा राज्य की खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 के अधीन उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उपरोक्त शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन मण्डी फीस के संदाय से छूट देने पर विचार किया जावेगा.

- (4) मण्डी फीस के संदाय से छूट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिये आवश्यक होगा कि स्थायी पूंजी निवेश, उत्पादन की दैनिक तथा वार्षिक क्षमता, आवश्यक कच्चे माल अर्थात् अधिसूचित कृषि उपज "फलों", "सब्जियों" तथा "फूलों" की मात्रा के अभिप्रमाणित ब्यौरे मध्यप्रदेश के उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- (5) यह छूट ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को लागू नहीं होगी जो उत्पादन के लिए प्रमाणिक क्षमता, "फलों", "सब्जियों" तथा "फूलों" की अपेक्षानुसार इसका कच्चा माल इसके प्रसंस्करण/उत्पादन के लिए उपयोग में आई उसकी मात्रा प्रस्तुत करने में असफल रहती है और प्रसंस्करण/उत्पादन हेतु उसका उपयोग करने में असफल रहती हैं।
- (6) मंडी फीस से छूट, खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश के अधिकतम पचास प्रतिशत रकम के आंकलित रूप के समतुल्य होगी। इस छूट की सीमा प्राप्त कर लेने के पश्चात् छूट प्रवर्तित नहीं रह जाएगी। संबंधित मण्डी समिति, जिसके क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित है, का कर्तव्य होगा कि राज्य की समस्त मंडी समितियों से खाद्य प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त की गई माहवार छूट की संगणना करे तथा शर्तों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे।
- (7) अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अधधीन रहते हुए, मण्डी-क्षेत्र में स्थापित की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाई, अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के लिए मण्डी फीस छूट प्राप्त करने की हकदार होगी।
- (8) उपरोक्त किसी शर्त और निर्बंधन के भंग होने या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन या अतिक्रमण की दशा में, मंडी फीस से छूट की रकम के पांच गुना रकम, संबंधित मण्डी समिति को, स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा शास्ति के रूप में देय होगी।
- (9) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड उपरोक्त अवधारित शर्तों के अनुसार ऐसी इकाईयों के लिए मंडी फीस से छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है, जो इस संबंध में प्रकरणवार परीक्षण के पश्चात् आवश्यक विनिश्चय करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2010

क्र.-डी-15-28-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 29 सितम्बर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th September, 2010

No. D-15-28-2010-XIV-3—Whereas in pursuance of the food processing policy, 2008 of the State, the State Government is of the opinion that the Food Processing Industry/Processor should be given relaxations in the market fee to encourage their production in the state;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby exempt "Fruits", "Vegetables" and "Flowers" brought into or purchased in any market area of the State for the use of production/processing in established units from the payment of market fee in whole payable under the said Act, subject to the following conditions and restrictions, namely:—

- (1) Exemption from payment of market fee on the said notified agriculture produce shall only be extended if it is used as raw material for the purpose of production/processing in the established units, but if the said notified agriculture produce is sold or purchased in a commercial transaction or has been used in contravention of the conditions and restrictions specified in the notification, the exemption shall not be made by the market committee of the market area and the concerned market committee shall levy the market fees as per the provisions of the said Act.
- (2) It shall be binding for the above stated food processing units to obtain the licence of market functionary under sections 32 and 32-A of the said Act, and it shall also be necessary for them to submit to the market committee of the market area, attested and certified copies of their periodic returns and all other details furnished to the Income Tax Department/Commercial Tax Department in relation to the notified agriculture produce i. e. "Fruits", "Vegetables" and "Flowers" purchased as raw material within the State or from outside the State.
- (3) Such food processing units which are registered with the Horticulture and Food Processing Department of Madhya Pradesh and are recognized by them under the Food Processing Policy, 2008 of the State shall only be considered for exemption from the payment of market fees under above conditions and restrictions.
- (4) For the purpose of exemption from the payment of market fees, it shall be necessary for the food processing unit to produce certified details of permanent capital investment made, daily and annual capacity of the production, raw material i. e. quantity of notified agriculture produce of "Fruits", "Vegetables" and "Flowers" needed, obtained from the Horticulture and Food Processing Department of Madhya Pradesh.
- (5) This exemption shall not be applicable to such food processing units who have failed to produce the certified capacity for production, its raw material requirement of "Fruits", "Vegetables" and "Flowers", its used quantities in processing/production and failure to use the same for processing/production.
- (6) Exemption from market fee shall be cumulatively equivalent to maximum fifty percent amount of the permanent capital investment made by food processing units. After attaining this limit of exemption, the exemption shall cease to operate. It shall be the duty of the concerned market committee, in whose area the food processing unit is established, to calculate the month wise exemption obtained by the food processing unit from all the market committees of the State and ensure the implementation of the conditions.
- (7) Subject to sub-section (2) of Section 69 of the Act, the food processing unit established in market area shall be entitled for exemption from market fees for maximum three years from the first date of purchase of the notified agriculture produce.
- (8) In case of breach of any aforesaid condition and restriction, or non compliance or violation of the provisions of this Act, five time amount of the exemption of market fees will be payable as penalty by the established food processing unit to the concerned market committee.
- (9) The Managing Director, Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board is authorized to provide exemption in market fee to such units according to aforesaid determined condition, who shall take necessary decision in this regard, after case wise examination.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B.S.BAGHEL, Addl. Secy.